

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 359 / गोपनीय / 2017  
II-2-33/57 (Pt.-12)

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005, 04-11-2009, 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1/2002/21-ब (एक)/5181, दिनांक 7 जनवरी, 2017 एवं आदेश फा. क्रमांक 1-1/2002/21-ब (एक)/939, दिनांक 25 फरवरी, 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ (3) में वर्णित 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (4) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :-

सा र णी


क्र.	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार।	28.02.2019	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद की हैसियत से श्री एम.पी. अवस्थी के स्थान पर दिनांक 20.03.2017 से। श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, कुटुम्ब न्यायालय, <u>नरसिंहपुर</u> का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) संभालेंगे एवं इस हेतु <u>15 दिनों</u> के लिए श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।
2	श्री राज कुमार भावे, विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A) Act, शाजापुर।	08.02.2019	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्री श्याम सुंदर गर्ग, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	19.01.2019	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी :- 1. उपरोक्त सेवानिवृत्त हो चुके एवं होने जा रहे न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा।

क्रमांक 360 / गोपनीय / 2017  
II-2-33/57 (Pt.-12)

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब

  
27/2/17

न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :-

सा र णी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच।	नीमच	शाजापुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

- टिप्पणी :- 1. श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच का, नीमच से शाजापुर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।
2. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 955, 956/गोपनीय/2016, दिनांक 20.09.2016 के तारतम्य में, श्रृंखला कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन-शाजापुर, एतद् द्वारा समाप्त (delink) की जाती है।

क्रमांक 361 /गोपनीय/2017  
II-2-33/57 (Pt.-12)


जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2017

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को, उनके घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त, सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय एवं अवधि के लिये, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु आदेशित करता है :-

सा र णी

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना का स्थान	श्रृंखला न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन।	श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर) वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में <u>10 दिवस</u> के लिए कुटुम्ब न्यायालय, नीमच में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


  
(मनोहर ममतानी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 362 / गोपनीय / 2017  
II-2-33/57 (Pt.-12)


जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भेपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को इस रजिस्ट्री अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1325/गोपनीय/2016, दिनांक 22.12.2016 एवं अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 250/गोपनीय/2017, दिनांक 08.02.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । वे कृपया अपनी नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 20-03-2017 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।
4. 1. श्री राज कुमार भावे, विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A) Act, शाजापुर  
2. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, द्वारा श्री एम0बी0 शर्मा, शब्द प्रताप आश्रम, गुरु प्यारी भवन के सामने, लशकर, ग्वालियर ।  
3. श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच  
4. श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । वे कृपया अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 14-03-2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । वे कृपया अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 14-03-2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।
5. कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद / नरसिंहपुर / राजगढ़ / मुरैना / उज्जैन / शाजापुर / नीमच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6. जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर / जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1 जजेस ऐनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इंदौर-452001 / जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
7. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. सदस्य सचिव / उप सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

  
27/2/17

10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (Judicial) / (Vigilance) / (I.L.R. & Examination) उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक आकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
12. रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (District Establishment) / (Vigilance & Litigation) / (Judicial-I) / (Judicial-II) / (Vigilance) / Registrar-cum-Secretary M.P., High Court Legal Services Committee, Jabalpur / (Administration) / (E) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाईंट रजिस्ट्रार (Protocol) / डिप्टी रजिस्ट्रार (Judicial-I) / (Judicial-II), उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
13. रजिस्ट्रार-कम-माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय को सूचनार्थ अग्रेषित।
14. डिप्टी रजिस्ट्रार-सह-रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
15. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
16. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
17. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
18. अनुभाग अधिकारी पेन्शन/ बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

  
(मनोहर ममतानी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
१



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2017

दिनांक 1-1/2002/21-ब(एक)/5181, राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करत है:-

क.	नाम एवं पद	पदस्थापना	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
1.	श्री वृन्दावन लाल झा,	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर	08.01.2019
2.	श्री इकबाल अहमद	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर	17.01.2019
3.	श्री राजकुमार भावे	विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर	08.02.2019
4.	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	28.02.2019

उक्त अधिकारियों को दैन्य वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( ए.एम. सक्सेना )

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

फा.क्रमांक 1-1/2002/21-ब(एक)/5181

भोपाल, दिनांक 07 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक 1325/गोपनीय/2016/दो-2-33/57 (भाग-12) दिनांक 22.12.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3- उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
09 JAN 2017

REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR

D.R. (Combll)

( आर.क. कर्णी )  
सचिव, 7.1.17

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.